इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 जुलाई 2015—आषाढ़ 18, शक 1937

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2015

क्र. 23-6-2014-4-पच्चीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम, 2007 अनुच्छेद (i), (ii), (iii) को विलोपित कर उनके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन करता है:—

(i) मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-23-6-14-25-4, दिनांक 15 सितम्बर 2014 के बाद अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों को संशोधित प्रोत्साहन राशि रुपये 2.00 लाख रुपये की पात्रता होगी.

(ii) "अंतर्जातीय विवाह करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक ही विवाह करने वाले दम्पत्तियों के पुरस्कार हेतु दावा मान्य किया जायेगा. इसके अवधि के पश्चात् पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता स्वत: समाप्त हो जायेगी."

(iii) आय सीमा का बंधन नहीं होगा.

(iv) विवाह हिन्दु मैरिज एक्ट, 1955 के तहत सक्षम अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत करना अनिवार्य है. आवेदन-पत्र में विवाह पंजीयन छायाप्रति लगाना आवश्यक है. बिना सक्षम अधिकारी के पंजीयन का विवाह इस प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए वैध नहीं माना जायेगा.

(v) द्वितीय अंतर्जातीय विवाह पर कोई राशि देय नहीं होगी.

(vi) आवेदक दम्पत्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की योजना (Dr. Ambedkar Scheme for Social integration through intercaste Marriages) का अथवा मध्यप्रदेश अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में से किसी एक योजना का लाभ लेने का पात्र होगा.

(vii) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन-पत्र दम्पत्ति में से जो अनुसूचित के आवेदन द्वारा जिस जिले से मूल निवास व जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया होगा उसी जिले के संबंधित जिला कलेक्टर अथवा सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा.

(viii) दम्पत्ति में से अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है.

4. **योजना का स्वरूप.**—पूर्व प्रावधान (i), (ii), (iii) समाप्त कर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है:—

(i) अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्ति को 2.00 लाख रुपये राशि की पात्रता होगी. यह राशि दम्पत्ति के संयुक्त बैंक खाते में जमा की जायेगी.

5. **आवेदन पत्र—**

अनुच्छेद (i) में पूर्व प्रावधान विलोपित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये—

(i) अंतर्जातीय विवाह प्रमाण-पत्र—हिन्दु मैरेज एक्ट, 1955 के तहत सक्षम अधिकारी के कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है.

8. **लाभ देने की प्रक्रिया—**

अनुच्छेद (i) में पूर्व प्रावधान विलोपित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये—

(i) पुरस्कार राशि-हितग्राही दम्पत्ति की पुरस्कार राशि परीक्षण समिति द्वारा प्रकरण अनुशंसा करने के बाद तथा जिला कलेक्टर द्वारा प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के पश्चात् दम्पत्ति के संयुक्त बैंक खाते में रुपये जमा की जायेगी. यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.